सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A4/5

54/2016

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

A9/1

न्यायालय उपखण्डाधिकारी :– सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– आशाराम डूडी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 99 / 2011

1. बोहड़ सिंह
2. जसवन्त सिह
3. बुटा सिंह

पि0 वीरसिंह उर्फ बलबीर सिंह जाति जटसिख साकिन लालगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

———अपीलांटस

बनाम

1. सरंपच ग्राम पंचायत लालगढ़ जाटान
2. श्रीमती जसमेल कौर पत्नी स्व. श्री वीरसिंह उर्फ बलबीर सिंह जाति जटसिख साकिन लालगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

———रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्व आदेश सरंपच ग्राम पंचायत लालगढ़ जाटान प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 05.02.2009 जिसकी रूह से सरपंच ग्राम पंचायत लालगढ जाटान द्वारा वसीयत के आधार पर इंतकाल न करके खारिज किया गया के संबंध में

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1. श्री रेशम सिंह अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. श्री जगनन्दन सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.10.2012

प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा निवेदन किया है कि (2) अपीलांट के पिता वीर सिंह उर्फ बलबीर सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह जाति जटसिख साकिन लालगढ़ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा अपनी कृषि भूमि चक 8 एलएलजी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के खाता सं. 4 / 4 पं.नं. 19 / 157 मु.नं. 41 में (6.325), पं.नं. 19 / 158 मुं.न. 42(6.325) कुल 12.650 है0 नहरी गैर मुमकिन रास्ता अमोलक सिंह वगैरा के साथ खातेदारी जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 में दर्ज है जिसमें से अपीलांट के पिता 7.904 है0 का हिस्सेदार था जिसमें से 6.323 है0 एवं चक 11 एलएलजी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर में आराजी खाता सं. 63 / 63 पं.नं. 3 / 162 मुं.नं. 5(0.405), पंनं. 4 / 162 मुं.नं. 6(6.325) कुल 6.730 है0 नहरी गैर मुमकिन रास्ता राजाराम वगैरा के साथ जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 में दर्ज है जिसमें अपीलांट के पिता 1.581 है0 के मालिक थे उक्त रकबा की एवं चक 3 एलएलजी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के खाता सं. 35 / 25 पं.नं. 38 / 152 मुं.नं. 59(1.518), पं.नं. 39 / 152 मु.नं. 60 (2.624), पं.नं. 48 / 152 मु.नं. 61 (0.506) कुल 4.048 है0 नहरी बारानी मय गैर मुमकिन रास्ता गिंदर सिंह वगैरा के जमाबन्दी सम्वत 2061–64 में दर्ज है में से 2.530 है0 उक्त तीनों चको की कुल

अपीलांट के पिता 7.904 है0 का हिस्सेदार थे में से 1.581 है0 नहरी की वसीयत रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम से की थी जो कि दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 21.06.2006 को अपीलांट व अपीलांट की माता रेस्सोपेटं सं. 2 के नाम से की जो कि वसीयतनामा उप पंजीयक महोदय श्रीगंगानगर के कार्यालय में दिनांक 21.06.2006 को पुस्तक सं. 3 जिल्द सं. 69 पृष्ठ सं. 96 क्रम सं. 2006000106 पर दर्ज है।

(3) उक्त वर्णित कृषि भूमि (सम्पत्ति) अपीलांट क पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसे अपीलांट के पिता को वसीयत करने के पूर्ण अधिकार हासिल थे उक्त कृषि भूमि का इंतकाल सरपंच ग्राम पचांयत लालगढ़ जाटान द्वारा दर्ज न करके इंतकाल खारिज कर दिया जबकि इंतकाल खारिज करने का अधिकार सरपंच ग्राम पंचायत को हासिल नहीं था, क्योंकि वसीयत रजिस्ट्रर्ड थी व ग्राम पंचायत के पास अथवा पटवारी हल्का के पास किसी अन्य वारिस ने पेश होकर न तो कोई अन्य वसीयत पेश की न ही वारिसनामा के आधार पर इंतकाल करने का निवेदन किया न ही प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत की गई वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने पर कोई ऐतराज प्रस्तुत किया इसलिए ग्राम पंचायत का आदेश कानून के विरूद्व व तथ्यों के विरूद्व है व निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा मनमाने तरीके से कार्यवाही करते हुए इंतकाल दर्ज न करके खारिज किया है जबकि ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने बिना किसी अन्य व्यक्ति के ऐतराज के केवल एक चक 8 एलएलजी में अपीलांट के पिता की कृषि भूमि का इंतकाल वसीयत के आधार पर न करके खारिज कर दिया गया व अन्य चकों चक 3 एलएलजी व 11 एलएलजी जिनके रकबा के बारे में भी अपीलांट के पिता ने वसीयत की थी का इंतकाल दर्ज ही नहीं किया व न ही खारिज किया जो मनमाने तरीके से कार्यवाही की है, असल वसीयत पटवारी हल्का व संरपच ग्राम पंचायत लालगढ़ जाटान को प्रस्तुत की गई थी लेकिन इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत ने मनमाने तरीके से कार्यवाही करते हुए केवल यह नोट लगाकर कि "दस्तावेज के अभाव में खारिज किया जाता है" जो कि मनमाने तरीके से आदेश किया गया है व बिना किसी आधार के आदेश पारित किया गया है जो स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है, जो निरस्तनीय है। अन्य तथ्य बरवक्त बहस रिकार्ड आने पर अर्ज किया जावेगें। ग्राम पंचायत द्वारा इंतकाल नियम 121 से 129 की पालना नहीं की गई व न ही इंतकाल खारिज करके अपीलांट को कोई सूचना दी गई है। उक्त इंतकाल खारिज की जानकारी अपीलांट को सर्व प्रथम तब हुई जब तहसीलदार सादुलशहर के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र की कार्यवाही का पता करने के लिए अपीलांट दिनांक 02.06.2011 को तहसील सादुलशहर गये व वकील साहब से मिला तो पता चला कि तहसीलदार साहब ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है जिनके आदेश की नकल दिनांक 03.06.2011 को आवेदन किया व 04.06.2011 को निकलने पर पता चला कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 05.02.2009 को केवल चक 8 एलएलजी के रकबा का इंतकाल इस आक्षेप के साथ कि दस्तावेज के अभाव में खारिज कर दिया व चक 11 एलएलजी व 3 एलएलजी के रकबा के बारे में कोई निर्णय ही नहीं किया व ग्राम पंचायत के विचाराधीन बताये गये। तहसीलदार साहब के आदेश का अवलोकन करने पर पता चला कि ग्राम पंचायत ने केवल चक 8 एलएलजी का इंतकाल खारेज कर दिया है इसलिए जानकारी होते ही बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की ज रही है, जो कि जानकारी से अन्दर मियाद है [illegible] लिए अलग से दफा 5 मियाद अधिकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

[illegible] अपील अपीलांटस पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 का आदेश प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 05.02.2009 निरस्त फरमाई जावें।

2012 प्रस्ताव संख्या 01 के संबंध में आगामी पेशी तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा ईकबाल दर. प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 सरंपच ग्राम पंचायत लालगढ़ जाटान द्वारा जवाब अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि काफी तालाश करने पर भी रिकॉर्ड (प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.02.2009) नहीं मिला है इसलिए रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

बहस वकील अपीलांट एकतरफा सुनी गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा साक्ष्यों के अभाव में इंतकाल सं. 371 दिनांक 05.02.2009 खारिज किया है लेकिन साक्ष्यों का ब्यौरा नहीं दिया गया है और रिकॉर्ड प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.02.2009 भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2009 खारिज किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को रिमाण्ड किया जाता है कि संबंधित पक्षकारान को सुनकर नियमानुसार आदेश पारित करें।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.10.2012 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया ।

आशाराम डूडी (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

प्रमाणित प्रतिलि

मुख्य प्रतिलिपिकार (रीडर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Compared by me
Sig.